"प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस"
कार्यालय- प्राचार्य शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कटनी
• 26.09.18 को नैक द्वारा B++ ग्रेड प्राप्त • अग्रणी महाविद्यालय, जिला- कटनी •
Phone : 07622-299423, E-Mail : gtc_katni@yahoo.co.in, hegtckat@mp.gov.in

क्र./2447/शातिम/प्रशा./24-25 कटनी, दिनांक 21/12/24

// दिव्यांगजनों हेतु विशेष भर्ती अभियान /

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत जिले कटनी में निम्नानुसार दिव्यांगजनों के रिक्त पदों हेतु विशेष भर्ती अभियान के तहत चतुर्थ श्रेणी अंतर्गत- भृत्य 01 पद रिक्त है । निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिये दिनांक 06.01.2025 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या							
क्र.	पदनाम/ वेतनमान	पद श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता	"लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मक्त, बौनापन, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्राफी (LD)'	"बहरे और कम सुनने वाले)EH)'	"दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि)VH)"	"ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बिमारी और बहुविकलांगता)MD)"
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अन्य चतुर्थ श्रेणी के पद पदनाम-भृत्य वेतनमान 15500-49000 Level-I	चतुर्थ श्रेणी	8वी कक्षा उत्तीर्ण	निरंक	निरंक	निरंक	01 पद

उक्त विज्ञापन के आवश्यक नियम एवं निर्देश तथा आवेदन का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट https://highereducation.mp.gov.in एवं महाविद्यालय की वेबसाइट https://www.govttilakpgcollege.ac.in पर उपलब्ध है ।

21.12.24

(प्रो. सुनील कुमार बाजपेई)
प्राचार्य
Principal
Govt. Tilak P.G. College
Katni (M.P.)

परिशिष्ट -1

निर्धारित समिति

1. नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी - प्रदेश स्तर पर्यवेक्षक
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक - संभागीय पर्यवेक्षक
3. प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय - जिला मुख्यालय, अध्यक्ष
4. प्राचार्य संबंधित शासकीय महाविद्यालय - सदस्य (नियोक्ता)
5. प्रत्येक महाविद्यालय के 02 प्राध्यापक, - सदस्य
6. सामाजिक न्याय विभाग (उप संचालक) - विशेष आमंत्रित सदस्य

शैक्षिणक योग्यता/अर्हता

1	प्रयोगशाला परिचालक	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण,
2	भृत्य	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण
3	अन्य चतुर्थ श्रेणी	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियमानुसार

आवश्यक नियम एवं निर्देश :-

1. आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण पत्र की स्वंय सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित है ।
4. आवेदक का म.प्र. में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
6. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है।
7. संबधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ही प्रमाण-पत्र मान्य होगा, ऐसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है वे अपात्र मान्य किये जावेंगे तथा साथ ही यू.डी.आई.डी. से जारी दिव्यांगता डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
8. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
9. जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उससे पश्चात हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

10. साक्षात्कार से पूर्व संबंधित पद की समस्त अर्हता/योग्यता आवेदक के पास होना आवश्यक है।
11. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा भोपाल के पास सुरक्षित होगें।
12. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 17/07/2014 के अनुसार नि:शक्तजनों की नियुक्ति के पश्चात् एवं उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड मे नि:शक्तता प्रमाण पत्र का परिक्षण कराया जाये।
13. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक बधिर श्रेणी के नि:शक्तजनों की शासकीय भर्ती से पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) कराना अनिवार्य है।
14. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.4 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाये, यह स्पष्ट किया गया है कि वॉक-इन-इंटरव्यू से आशय साक्षात्कार के लिए पृथक से अंक दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के रिक्त पदों के लिए नियमों में उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता के आधार पर मैरिट सूची बनायी जाकर पद पूर्ति की जाए।
15. इस विशेष भर्ती अभियान में सामान्य प्रशासन विभाग एवं मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के समय-समय पर जारी नियम एवं निर्देश लागू किये जावेंगे।
16. विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।

AM

परिशिष्ट-02

आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीन कलर पासपोर्ट फोटो

प्रति,

प्राचार्य ,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

1. आवेदित पद का नाम ....
2. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम ....
3. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम ....
4. जन्म तिथि (10+2 प्रमाण पत्र के आधार पर) : वर्ष .... माह .... दिन ....
5. वर्ग(OBC/ SC/ ST/ EWS/ UR) ....
6. यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र के अनुसार विवाह दिनांक ....
7. जीवित बच्चों का विवरण ....
8. स्थाई पता ....
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम..........
....
10. शैक्षणिक योग्यता(कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड की जानकारी सहित)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक	श्रेणी

11. अतिरिक्त विशेष योग्यता/अनुभव यदि हो तो ....

12. उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्र की छायाप्रति अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करें ।

संलग्न :- प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति ।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

//घोषणा पत्र//

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है । वह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त माना जावेगा।

स्थान :-

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

....